जी. एम. तांडा थर्मल पावर प्रोजेक्ट

बनाम

जय प्रकाश श्रीवास्तव और अन्य

11 अक्टूबर, 2007

[एस. बी. सिन्हा और हरजीत सिंह बेदी, जे. जे.]

श्रम कानून-नियुक्ति-अनुबंध के आधार पर-भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा गैर-मौजूदा पद के विरूद्ध-किसी कंपनी के लिए अधिगृहित भूमि से संबंधित अधिग्रहण कार्यवाही की देखभाल के लिए- कंपनी द्वारा कर्मचारी को वेतन का भुगतान किया गया-कर्मचारी की सेवा समाप्ति-यू.पी. औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए औद्योगिक विवाद। श्रम न्यायालय ने इस आधार पर बहाली का निर्देश दिया कि कंपनी और कर्मचारी के बीच नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध मौजूद था-उच्च न्यायालय ने मामले में हस्तक्षेप नहीं किया अपील पर, अभिनिर्धारित किया गया: कर्मचारिय की सेवाएं की आवश्यकता भूमि अधिग्रहण अधिकारी को थी, न कि कंपनी को-इसलिए कर्मचारी और कंपनी के बीच नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध मौजूद नहीं था-गैर-मौजूदा पद के विरूद्ध नियुक्ति और संविदा के आधार पर नियुक्ति होने के तथ्य को

ध्यान में रखते हुए बहाली का आदेश गलत था-उच्च न्यायालय को सभी हितबद्ध पक्षकारों की उपस्थिति में नियोक्ता और कर्मचारी के संबंध में विवादित प्रश्न का निर्धारण करना चाहिए था जैसे-भूमि अधिग्रहण अधिकारी-उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम।

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-न्यायिक पुनर्विलोकन-श्रम मामला-तथ्य के विवादित प्रश्न में हस्तक्षेप-अनुमति-अभिनिर्धारित जब नियोक्ता और कर्मचारी के संबंधों का अस्तित्व विवादित हो, तो हस्ताक्षेप अनुज्ञेय है।

राज्य ने अपीलार्थी-कंपनी के लिए भूमि अधिगृहित की। अधिग्रहण प्राधिकारी ने लंबित अधिग्रहण मामलों की देखभाल के लिए अस्थायी अवधि के लिए प्रथम प्रतिवादी को दैनिक वेतनभोगी के रूप में नियुक्त किया। इसका खर्च अपीलार्थी द्वारा वहन किया गया। उसकी सेवाएं अवधि समाप्त होने के बाद समाप्त कर दी गयी। प्रतिवादी ने उसकी सेवा समाप्ति को चुनौती देते हुए औद्योगिक विवाद उठाया। श्रम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी और प्रथम प्रतिवादी के बीच नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध था तथा प्रथम प्रत्यर्थी 240 दिनों से अधिक समय तक काम करने पर नोटिस भुगतान और छंटनी मुआवजे का हकदार था उसे पिछले वेतन के साथ बहाल करने का निर्देश दिया गया। इसके

खिलाफ दायर रिट याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि वह भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग में तथ्य के विवादित प्रश्न का निर्धारण नहीं कर सकता। अंतर-अपील भी न्यायालय उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा खारिज कर दी थी। इसलिए वर्तमान अपील की गई।

अपील की अनुमति देते हुए, न्यायालय ने विनिश्चित किया-

1. भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों के तहत भूमि का अधिग्रहण किया जाता है। भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामले को न्यायालयों में संचालित करना संबंधित प्राधिकारियों का काम है। हालांकि अपीलकर्ता पहले प्रतिवादी को वेतन आदि के भुगतान के संबंध में व्यय को पूरा करने के लिये धन उपलब्ध करा रहा था, लेकिन स्पष्ट रूप से अपीलकर्ता व पहले प्रतिवादी के मध्य नियोक्ता व कर्मचारी का संबंध अस्तित्व में नहीं आया था। नियुक्ति का प्रस्ताव विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा जारी किया गया था। पहला प्रतिवादी उसकी देखरेख और नियंत्रण में काम कर रहा था। उसकी सेवाएं विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा एक विशेष उद्देश्य, भूमि अधिग्रहण मामलों की देखरेख के लिए ली जा रही थी। जब जिस उद्देश्य के लिए पहले प्रतिवादी को नियुक्त किया गया था, उसका अस्तित्व नहीं रहा तो उसकी सेवाएं समाप्त कर दी

गई। यदि नियोक्ता और कर्मचारी के बीच कोई संबंध मौजूद नहीं था, तो अपीलकर्ता द्वारा यू.पी. औद्योगिक विवाद अधिनियम के संदर्भ में आवश्यक दायित्वों को पूरा करने, अर्थात् छंटनी मुआवजे के भुगतान या नोटिस के बदले में एक महीने का वेतन का सवाल ही नहीं उठता था और न ही उठ सकता था। यदि पहला प्रतिवादी विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी के अधीन काम करने वाला कामगार थाए तो उक्त प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रावधानों के अनुपालन का सवाल ही नहीं उठता। [पैरा 12] [51-डी-जी]

2. उच्च न्यायालय ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार करके एक गंभीर त्रुटि कारित की। जब नियोक्ता और कर्मचारी के संबंध का अस्तित्व विवादित होता है तो इसे उन सभी पक्षों की उपस्थिति में निर्धारित किया जाना आवश्यक था जो संदर्भ की विषय वस्तु में हितबद्घ हैं। विशेष भूमि अर्जन अधिकारी इस संदर्भ में पक्षकार नहीं थे। श्रम न्यायालय ने इन प्रश्नों पर विचार नहीं किया कि पहले प्रतिवादी द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कामों की प्रकृति क्या थी, तथा अन्य सुसंगत कारक जैसे नियुक्ति का प्रस्ताव किसने जारी किया था; प्रतिवादी के काम पर निगरानी और नियंत्रण किसका था आैर प्रतिवादी को अवकाश प्रदान करने और अनुशासनात्मक कार्रवाई करने वाला प्राधिकारी कौन था। उक्त प्रश्न सुसंगत थे। [पैरा 12] [51-एच; 52-ए-बी]

नीलगिरी कॉर्पोरेशन के कर्मचारीगण एमकेटी. सोसायटी लिमिटेड बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य, [2004] 3 एस. सी. सी. 514, संदर्भित।

3. इसके अलावा उच्च न्यायालय ने एक गंभीर त्रुटि की क्योंकि यह इस बात पर विचार करने में विफल रहा कि जब कोई पद मौजूद नहीं है तो बहाली के लिए निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है। विशेष भूमि अर्जन अधिकारी के लिए कुछ कर्मचारियों की सेवाएं लेना अल्प अवधि के लिए था। सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसा कोई पद सृजित नहीं किया गया था। याचिकाकर्ता के भूमि अधिग्रहण मामलों की देखभाल के लिए पहले प्रतिवादी की सेवाएं आवश्यक थीं। यहां तक कि ऐसे मामले में जहां कामगार को अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया जाता है, औद्योगिक न्यायालय आमतौर पर बहाली के लिए निर्देश नहीं देगा। वैधानिक हस्तक्षेप के अधीन, इस संबंध में पार्टियों के बीच समझौते को उचित महत्व दिया जाना चाहिए। [पैरा 13] [52-सी-एफ]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील सं. 4809-10/2007

1998 की विशेष अपील संख्या 76 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ के निर्णय और अंतिम आदेश दिनांक 13.02.2004 से।

अपीलार्थी की ओर के लिए रंजीत सक्सेना, अनीता पांडे और विष्णु शर्मा।

एस. वसीम ए. कादरी, शालिनी कुमार, जी. वी. राव, कमलेंद्र मिश्रा और उत्तरदाताओं की ओर से वरिंदर कुमार शर्मा।

न्यायालय का निर्णय जे. एस. बी. सिन्हा द्वारा दिया गया।

1. अनुमति दी गई।

2. उत्तर प्रदेश राज्य ने अपीलकर्ता कंपनी के लिए भूमि का अधिग्रहण किया। इसके लिए विभिन्न भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू की गई थी। अधिग्रहण प्राधिकरण विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने लंबित अधिग्रहण मामलों की देखभाल के लिए कुछ दैनिक वेतन भोगियों को नियुक्त करने का इरादा व्यक्त किया और अपीलकर्ता को उक्त खर्चों को पूरा करने या उक्त उद्देश्य के लिए अपने कर्मचारियों में से एक को नियुक्त करने के लिए कहा। अपीलकर्ता ने विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की कि दैनिक मजदूरी पर एक व्यक्ति को तदर्थ आधार पर नियुक्त किया जा सकता है। विशेष भूमि अर्जन अधिकारी ने अन्य बातों के साथ.साथ तीन व्यक्तियों को दैनिक मजदूरी पर नियुक्त किया। उनकी मजदूरी का भुगतान अपीलकर्ता द्वारा प्रदान की गई निधि से किया गया था। उक्त कर्मचारियों की नियुक्तियां

अस्थायी अवधि के लिए थीं और जब तक भूमि अधिग्रहण मामलों की देखभाल के उद्देश्य से उनकी सेवाएं आवश्यक थीं उक्त कर्मचारियों की सेवाएं 1.5.1981 से 6.3.1982 की अवधि के लिए आवश्यक थीं।

3. प्रतिवादी की सेवाओं को 6.3.1982 से समाप्त कर दिया गया था एक औद्योगिक विवाद उठाया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य ने निम्नलिखित विवाद को निर्णय के लिए पीठासीन अधिकारीए श्रम न्यायालयए लखनऊ को भेज दिया।

> "क्या श्री गोमती प्रसाद श्रीवास्तव के पुत्र श्री जय प्रकाश श्रीवास्तव केस.क्लर्क को प्रबंधन द्वारा 6.3.1982 से सेवाओं से बर्खास्त करना या हटाना उचित और कानूनी है यदि नहीं तो कामगार किस लाभध्राहत का हकदार है?"

4. जबकि पहले प्रतिवादी का तर्क यह था कि अपीलकर्ता और उसके बीच नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध मौजूद था; याचिकाकर्ता की ओर से उठाया गया तर्क यह था कि ऐसा कोई संबंध नहीं था। राज्य द्वारा किए गए संदर्भ की वैधता पर भी सवाल उठाया गया था।

5. दिनांक 30.09.1996 के अपने अधिनिर्णय में पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ने 1985 के अधिनिर्णय विवाद संख्या 28 में दर्ज किया कि भूमि अधिग्रहण के मामलों में परियोजना की

ओर से पैरवी करने के लिए विशेष भू-अर्जन अधिकारी द्वारा प्रथम प्रतिवादी की नियुक्ति की गई थी। हालांकि, विद्वान श्रम न्यायालय की राय थी कि चूंकि पहले प्रतिवादी का वेतन अपीलकर्ता द्वारा प्रदान की गई धनराशि से भूमि अधिग्रहण अधिकारी को उपलब्ध कराया गया थाए इसलिए नियोक्ता और कर्मचारी का एक संबंध अस्तित्व में आया, जिसमें कहा गया था।

> "रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों से, यह बहुत अच्छी तरह से साबित होता है कि यद्यपि आवेदक-कामगार श्री जय प्रकाश की नियुक्ति टांडा थर्मल पावर प्रोजेक्ट के मुख्य परियोजना प्रबंधक द्वारा स्वतंत्र रूप से जारी किए गए किसी नियुक्ति पत्र के आधार पर नहीं की गई थी, बल्कि विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा विशेष द्वारा किए गए अनुरोध प्रस्ताव पर मुख्य परियोजना प्रबंधक द्वारा दी गई मंजूरी के आधार पर दैनिक मजदूरी पर की गई थी। भूमि अर्जन अधिकारी। प्रबंधन ने समय.समय पर उपर्युक्त नियुक्ति के विस्तार को भी अनुमोदित किया था और आवेदक, कामगार की सेवाओं को जारी नहीं रखने का निर्णय भी लिया था और मुख्य परियोजना प्रबंधक ने आवेदक-कामगार की सेवाओं को समाप्त करने के लिए विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी को विधिवत सूचित किया था। अंत में

आवेदक-कामगार की सेवाएं समाप्त कर दी गईं। साक्ष्यों से यह भी सिद्ध होता है कि टांडा ताप विद्युत परियोजना से संबंधित मामलों में आवेदक-कामगार पैरवी का कार्य कर रहा था और उसके वेतन का भुगतान भी प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराई गई धनराशि से किया गया था। इन परिस्थितियों में, यह साबित होता है कि आवेदक-कामगार की नियुक्ति प्रबंधन द्वारा दी गई मंजूरी के आधार पर की गई थी।"

6. यह कहते हुए कि पहले प्रतिवादी ने उपरोक्त अवधि के दौरान 240 दिनों से अधिक समय तक काम किया और चूंकि कामगार को कोई नोटिस वेतन और छंटनी मुआवजा नहीं दिया गया था, इसलिए उसे वापस मजदूरी के साथ बहाल करने का निर्देश दिया गया था।

7. इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के समक्ष अपीलकर्ता द्वारा दायर रिट याचिकाए जिसे 1998 की रिट याचिका संख्या 222 के रूप में चिह्नित किया गया था, को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि तथ्य के विवादित प्रश्न को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करके उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

8. अपीलकर्ता द्वारा पसंद की गई एक इंट्रा कोर्ट अपील पर उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने यह कहते हुए हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया कि विशेष अपील सुनवाई योग्य नहीं थी।

9. अपीलकर्ता इस प्रकार, हमारे सामने है।

10. याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील रंजीत सक्सेना ने कहा कि उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय पारित करने में त्रुटि की क्योंकि यह इस बात पर विचार करने में विफल रहा कि याचिकाकर्ता और पहले प्रतिवादी के बीच नियोक्ता और कर्मचारी का कोई संबंध नहीं था; विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा पहले प्रतिवादी की नियुक्ति की गई है।

11. हमारा ध्यान किसी भी क़ानून या वैधानिक नियमों की ओर नहीं दिलाया गया है, जिसके संदर्भ में ऐसी नियुक्ति राजस्व प्राधिकरण द्वारा की जा सकती है। इसलिए, यह केवल एक तदर्थ रोजगार था।

12. भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार भूमि का अधिग्रहण किया जाता है। भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामलों को न्यायालयों में संचालित करना संबंधित प्राधिकारियों का कार्य है। यद्यपि अपीलकर्ता यहां पहले प्रतिवादी को मजदूरी आदि के भुगतान के संबंध में व्यय को पूरा करने के लिए धन प्रदान कर रहा था, स्पष्ट रूप से, एक नियोक्ता और कर्मचारी के बीच संबंध अपीलकर्ता और पहले प्रतिवादी के

बीच अस्तित्व में नहीं आया था। इसके लिए अपीलकर्ता की सेवाओं की आवश्यकता नहीं थी। विशेष भूमि अर्जन अधिकारी ने किया। नियुक्ति का प्रस्ताव विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा जारी किया गया था। पहले प्रतिवादी उनकी देखरेख और नियंत्रण में काम कर रहा था। उनकी सेवाएं विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा एक विशेष उद्देश्य के लिए ली जा रही थीं, अर्थात्, भूमि अधिग्रहण मामलों की देखरेख। जब जिस उद्देश्य के लिए पहले प्रतिवादी को नियुक्त किया गया थाए उसका अस्तित्व समाप्त हो गया, तो उसकी सेवाओं को समाप्त कर दिया गया। यदि नियोक्ता और कर्मचारी का कोई संबंध नहीं था, तो अपीलकर्ता द्वारा यूपी औद्योगिक विवाद अधिनियम के संदर्भ में आवश्यक दायित्वों को पूरा करने का सवाल नहीं उठता था, अर्थात्, छंटनी मुआवजे का भुगतान या नोटिस के बदले एक महीने का वेतन। यदि पहला प्रतिवादी विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी के अधीन काम करने वाला कामगार थाए तो उक्त प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रावधानों के अनुपालन का सवाल ही नहीं उठता। इसलिए, हमारी राय में, उच्च न्यायालय ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार करके एक गंभीर त्रुटि की। जब नियोक्ता और कर्मचारी के संबंध का अस्तित्व विवादित होता है, तो इसे उन सभी पक्षों की उपस्थिति में निर्धारित किया जाना आवश्यक था जो संदर्भ की विषय वस्तु में रुचि रखते हैं। विशेष भूमि अर्जन अधिकारी इस संदर्भ में पक्षकार नहीं थे।

पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ ने इन प्रश्नों पर विचार नहीं किया कि पहले प्रतिवादी द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कामों की प्रकृति क्या थी, तथा अन्य सुसंगत कारक जैसे नियुक्ति का प्रस्ताव किसने जारी किया था; प्रतिवादी के काम पर निगरानी और नियंत्रण किसका था और प्रतिवादी को अवकाश प्रदान करने और अनुशासनात्मक कार्रवाई करने वाला प्राधिकारी कौन था। उक्त प्रश्न सुसंगत थे। {नीलगिरी कॉर्पोरेशन के कर्मचारीगण एमकेटी. सोसायटी लिमिटेड बनाम। तमिलनाडु राज्य और अन्य।, [2004] 3 एस. सी. सी. 514]}

13. इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने एक गंभीर त्रुटि की क्योंकि यह इस बात पर विचार करने में विफल रहा कि जब कोई पद मौजूद नहीं है तो बहाली के लिए निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है। विशेष भूमि अर्जन अधिकारी के लिए कुछ कर्मचारियों की सेवाएं लेना अल्प अवधि के लिए था। सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसा कोई पद सृजित नहीं किया गया था। याचिकाकर्ता के भूमि अधिग्रहण मामलों की देखभाल के लिए पहले प्रतिवादी की सेवाएं आवश्यक थीं। यहां तक कि ऐसे मामले में जहां कामगार को अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया जाता है औद्योगिक न्यायालय आमतौर पर बहाली के लिए निर्देश नहीं देगा। वैधानिक हस्तक्षेप

के अधीन, इस संबंध में पार्टियों के बीच समझौते को उचित महत्व दिया जाना चाहिए।

14. उपर्युक्त कारणों से, आक्षेपित निर्णय को कायम नहीं रखा जा सकता है। उसी को तदनुसार अपास्त किया जाता है। अपील को स्वीकृत किया गया। चूंकि पहले प्रतिवादी की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ है, इसलिए लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

के. के. टी. अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी ऋचा कौशिक (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।